

28.11.14 लहरीलदा से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।
लिखा जा कर पत्रावली दिनांक 20.3.15
को पेश हो।

20.3.15 लहरीलदा से रिपोर्ट प्राप्त नहीं लिखी
जा कर पत्रावली दिनांक 23.4.15 को
पेश हो।

23.4.15 लहरीलदा से रिपोर्ट प्राप्त नहीं लिखी जा कर
पत्रावली दिनांक 15.5.15 को पेश हो।

15.12.15 लहरीलदा से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। कुनः
लिखा जा कर पत्रावली दि. 17-5-16 को पेश हो।

प्रॉ. 126
2011 से
स्थगन है
जिसमें रिपोर्ट
रखेंगे
की हुई है
16/11/18

16.5.18 पत्रावली केम्प...राशान...को पेश हुई।
आगामी दिनांक.....9.8.18...को पेश हो।

9.8.18 पत्रावली पेश हुई, अमिडापकगम द्वारा
न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने
से पत्रावली दिनांक को पेश हो।
13.12.18

13.12.18 उक्त पक्ष न्यायिक अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर हैं। आवकाश पर है / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 16.5.19 को पेश हो।
रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

16.5.19 पत्रावली पेश हुई, परिवार हल्का भगवानपुरा
क्यास रिपोर्ट में बताया कि प्रकरण में मानकीय
S.P.O. मांडलपरा प्रकरण से 125/11 द्वारा रोकना है/
स्थगन होने से प्रकरण में पालना सम्भव नहीं है।
प्रकरण में मानकीय उपखण्ड अधिकारी माण्डल द्वारा स्थगन
होने से स्थगन निर्धारित होने तक प्रकरण में पालना
नहीं की जा सकती है। स्थगन निर्णय तक प्रकरण
को रसी स्तर पर निर्धारित किया जाता है।
पत्रावली फंसल सुमार होकर मन्वरसे कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा